

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या-सं0का0-1 / वि0मं0(सत्र)01-01 / 2026-976 /

पटना, दिनांक-17.08.2026

बिहार राज्यपाल का दिनांक-17.08.2026 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ले ज सय्यद अता हसनैन, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2026 को सदन की बैठक की समाप्ति के पश्चात् बिहार विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ।

पटना,
दिनांक-17.08.2026

ले ज सय्यद अता हसनैन,
राज्यपाल, बिहार।”

ह0/-

(राजेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या-सं0का0-1 / वि0मं0(सत्र)01-01 / 2026-976 / पटना, दि०-17.08.2026

प्रतिलिपि-प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी विभाग/महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/गृह मंत्रालय, पॉल-1(ए) (शाखा), भारत सरकार, नई दिल्ली/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ)/आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या- सं०का०-१/वि०मं०(सत्र)०१-०१/२०२६-९७७/

पटना, दिनांक-१७.०८.२०२६

अधिसूचना संख्या-९७६ दिनांक-१७.०८.२०२६ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राजेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

:: NOTIFICATION ::

Patna, Dated-17.08.2026

No.- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2026-976/ The Following order of the Governor of Bihar dated 17.08.2026 is hereby published for general information :-

“In exercise of the powers under Sub Clause (a) of Clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, Lt Gen Syed Ata Hasnain, Governor of Bihar, hereby prorogue the Bihar Legislative Assembly after completion of the business of the House on 24th July, 2026.

Patna,
Dated -17.08.2026

Lt Gen Syed Ata Hasnain,
Governor of Bihar.”

Sd/-

(Rajesh Kumar)

Additional Secy. to Govt.

Patna, Dated-17.08.2026

Memo No.- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2026-977/

Copy :- Forwarded for information to Secretary In-charge, Bihar Legislative Assembly, Patna / Secretary In-charge, Bihar Legislative Council, Patna / Additional Chief Secretary to Hon'ble Governor of Bihar, Patna/ Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar, Patna/ Private Secretary to Hon'ble Dy. Chief Minister, Parliamentary Affairs Department/ All Department of Government/ Advocate General, Bihar, Patna High Court/ Director, Information & Public Relations Department, Bihar, Patna / Ministry of Home Affairs, Government of India (Political-1 (a) Sec.) New Delhi/ Superintendent, Secretariat Press, Gulazarbagh, Patna for publication in extra ordinary gazette/I.T. Manager, Parliamentary Affairs Department, Patna for publication on departmental Website.

Additional Secy. to Govt.